



2026:AHC:32154

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 412 सन् 2026

हरि नारायण मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : काशी नरेश मिश्रा, राजेश कुमार दुबे, सुरेश कुमार गुप्ता,
वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार दुबे के साथ श्री काशी नरेश मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 10.02.1998 को उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 2016 में, उन्हें निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और वर्ष 2024 में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि 21.02.2024 को उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रिट याचिकाकर्ता ने 16,08,165/- रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति/भत्ते का दावा किया था, जिसमें से 16.04.2024 को उप सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस आयुक्त, मुख्यालय को संबोधित एक आदेश के आधार पर लखनऊ में कुल 12,06,123 रुपये की 75 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गई। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, अब 03.12.2025 को एक संचार जारी किया गया है, जिसके तहत बढ़ाई गई राशि का 75% वसूलने का निर्णय लिया जा रहा है।
3. उक्त संचार पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. श्री गौरव सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता दिनांक 10.02.2026 के निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि यह एक संचार के अलावा और कुछ नहीं है जो चुनौती का विषय है क्योंकि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है और यह हमेशा राज्य सरकार की नीति है कि जब भी प्रतिकूल आदेश पारित किए जाते हैं तो कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी ऐसा ही होता है। इस मोड़ पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाए।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया जाता है, यदि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद कोई आदेश पारित किया जाता है।
6. आज दायर किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 12, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"